सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंबोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 110/2019

1–बद्रीप्रसाद 2–कमलेश पिसरान छत्रपाल जातिगण गौड (ब्राहमण) निवासीगण सिघोंरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादी

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति – 1–श्री *सुरेन्द्रकुमार दुबे एडवोकेट* ..... (वादीगण)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

निर्णय दिनांक 16.10.2019

वादीगण द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 319 रकवा 1 वीघा 9 विश्वा वाके ग्राम सिघोरा तहसील सैपऊ के खातेदार काश्तकार गंगाधर व रामखिलाडी पुत्रगण नारायनसिह कोम लोधा निवासी सिघोरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर थे इसी हैसियत से मौके पर काबिज काश्त रहे। विवादित आराजी के बाबत् गंगाधर व रामखिलाडी पुत्रगण नारायनसिह द्वारा वादीगण के हक में विक्रय कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द कर दिया। रोजे खरीद से वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। विवादित आराजी के बाबत् एक वाद इश्तकरार हक व अन्य नत्थी पुत्र गुलाब जाति नट निवासी सिघोरा द्वारा गंगाधर व रामखिलाडी पुत्रगण नारायनसिह के विरूद्व उनवानी दावा नत्थी बनाम गंगाधर न्यायालय सहायक कलक्ट मुख्यालय धौलपुर के यहां नम्बरी 110/1996 प्रस्तुत किया। जिसका निर्णय न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 31.1.1997 को पारित कर आराजी खसरा नम्बर 319 रकवा 1 वीघा 6 विश्वा को वादी नत्थी को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया तथा शेष आराजी खसरा नम्बर 319 के शेष रकवा 3 विश्वा को सरकारी भूमि घोषित करते हुये राजस्व अभिलेख मे सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया। उपरोक्त निर्णय व डिक्री तारीखी 31.1.1997 के विरूद्व अपील उनवानी जगदीशप्रसाद बनाम नत्थी प्रकरण संख्या 40/1997 न्यायालय भू0 प्रवन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर केम्प धौलपुर में प्रस्तुत की जो न्यायालय द्वारा दिनांक 12.1.2001 को स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.1.1997 निरस्त कर निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में बहाल किये जाने का आदेश पारित किया। न्यायालय भू0 प्रवन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

अधिकारी भरतपुर केम्प धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में प्रतिवादी द्वारा नामा0 संख्या 307 राजस्व कर्मचारियो द्वारा भरा गया परन्तु प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा नामा0 का निर्णय पारित करते समय विवादित खसरा नम्बर 319 रकवा 1 वीघा 9 विश्वा मे से 1 वीघा 6 विश्वा पर अधिनस्त न्यायालय सहायक कलक्ट मु0 धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री तारीखी 31.1.1997 से पूर्व की स्थिति बहाल कर दी परन्तु सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 31.1.1997 की पालना में विवादित आराजी खसरा नम्बर 319 के शेष रकवा 3 विश्वा पर पूर्व की स्थिति प्रतिवादी द्वारा बहाल नही की। प्रतिवादी द्वारा बिना किसी अधिकार से अपने क्षेत्राधिकार से बहार जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 319 मे से पृथक हुये खसरा नम्बर 965/319 रकवा 3 विश्वा अवैद्य रूप से सिवायचक दर्ज कर रखा है जिसका प्रतिवादी को कोई अधिकार हासिल नही है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी से करीव 15 दिवस पूर्व राजस्व रिकॉर्ड मे हो रहे अवैद्य इन्द्राजात को दुरूस्त कराने के लिये कहा तो वह स्पष्ट रूप से इन्कारी हो गया तथा हकूक वादीगण से इन्कारी हुआ। ऐसी स्थिति मे वादीगण को यह आवश्यक हो गया है कि वह विवादित आराजी पर अपने नाम न्यायाल श्रीमान द्वारा व हैसियत खातेदार काश्तकार के दर्ज करावें। यह प्रकरण राजस्थान सरकार के विरूद्व प्रस्तुत किया जा रहा है लेकिन प्रकरण गम्भीर प्रकृति का होने के कारण नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है। एसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वाद प्रस्तुत करने की मंजूरी दिया जाना न्यायोचित है।

अंत में निवेदन किया है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी मय खर्चा मुकदमा डिक्री किया जाकर वादीगण को उसकी क्रयशुदा आराजी मे से शेष आराजी खसरा नम्बर 965/319 रकवा 3 विश्वा वाके ग्राम सिघोरा पर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न्यायालय में बाबजूद तामील उपस्थित नही आये । वादीगण द्वारा अपने दस्तावैजी साक्ष्य में प्रमाणित नकल जमावन्दी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 117 वाके ग्राम सिघोरा एंव नकल जमावन्दी संवत 2070 से 2070 खाता संख्या 1 वाके ग्राम सिघोरा , फोटोप्रति निर्णय तारीखी 12.7.2001 न्यायालय श्रीमान भू0 प्रवन्ध पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर केम्प धौलपुर, फोटोप्रति नकल निणर्य तारीखी 31.1.1997 न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर, फोटो प्रति नकल जमावन्दी संवत 2054 से 2057 खाता संख्या 83 वाके ग्रम सिघोरा एंव फोटोप्रति नामा0 संख्या 703 वाके ग्रम सिघोरा प्रस्तुत किये है।

हमने विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजो का गहनता से अवलोकन किया इससे हम पूर्णतय सहमत है तथा वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 965/319 रकवा 3 विश्वा वाके ग्राम सिघोरा में न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

मान भू0 प्रवन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर केम्प धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2001 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार ही राजस्व अभिलेख मे वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

हरीसिंह लम्बोरा
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्डाधिकारी सैपऊ
व इजलास –हरीसिह लम्बोरा आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या– 110/2019

1–बद्रीप्रसाद 2–कमलेश पिसरान छत्रपाल जातिगण गौड (ब्राहमण) निवासीगण सिघोंरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादी

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरीसिह लम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री सुरेन्द्रकुमार दुबे एडवोकेट एंव मिनजानिव मुद्दायलह श्री . ...एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 965/319 रकवा 3 विश्वा वाके ग्राम सिघोरा में न्यायालय श्रीमान भू0 प्रवन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर केम्प धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2001 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार ही राजस्व अभिलेख मे वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। वशाव्द मेरे एंव मुहर अदालत से आज दिनांक 16.10.2019 को जारी की गई।

(हरीसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ